कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com. Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 3067 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 30 जून, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में नाघर–कुमलता से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/8930/2014)

संदर्भः–उत्तरखण्ड शासन का पत्रांक 153 / X-4-15/1(74)/2015 दिनांक 30.03.2015.

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 3145/12–1(2) दिनांक 28.05.2025 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.स.	शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या 100 में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 8,00,000.00 मात्र धनराशि जमा कर दी गयी है। **संलग्नक–1**
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा रू0 11,24,004/– मात्र की धनराशि जमा कर दी गयी है। **संलग्नक–2**
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्ततु करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0पी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार धनराशि जमा करा दी जायेगी। **संलग्नक–3**
4.	भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0वी0 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार को उपकर्म) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि रू0. 19,24,004.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है। **संलग्नक–1 व 2 के अनुसार**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–565 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–9/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25230 कार्पोरेशन बैंक, भारत सरकार को उपकर्म ब्लाक–11 भूतल सि0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जाम कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की समस्त मदों की धनराशि जमा कर दी गयी है। विवरण संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है। **संलग्नक–1 व 2 के अनुसार**

	छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जाम की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षरोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशि का विवरण, दिया गया हो उपलब्ध करये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भू–वैज्ञानिक की शर्तें मान्य होने के प्रमाण पत्र संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है। **संलग्नक–4**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होन की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	प्रस्तावक विभाग / एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समसत आवष्यक अभिलेखों / प्रपत्रां को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। **संलग्नक–5**
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3067/ 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 3145 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 28.05.2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग 0.819 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में (प्रस्ताव सं0 8930/2014)**

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, ने अपने पत्रांक–6963 / 12–1 दिनांक– 22.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शेष एन0पी0वी0, सी0ए0 एवं अन्य मदों में पूर्व में जमा की गई धनराशि परिवेश पोर्टल अंतर्गत paid show हो चुकी है। कृपया विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

<u>संलग्न– उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी पिथौरागढ़
आ.का.करें।

प्र.व.सं./नो.
30-5-25

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून
पंजिका सं0 5496
पत्रावली 12-1
दिनांक 6-6-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234
पत्रॉक 2734 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़ 01-02 ~~जनवरी~~, 2019।

426
4/2/19
22 प्रा0अ0

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,देहरादून।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ में नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग 0.819 हे0 की अनुपालन आख्या वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

संदर्भ:– आपका पत्रांक 643 / FP / UK / ROAD/8930 / 2014 दि0 05–09–2018 व प्रस्तावक विभाग की पत्र सं0 2759 दि0 15–11–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालान आख्या संलग्न कर प्रषित की जा रही है व प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– / दिनांकित ।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

4-2-19
4-2-2019

संलग्नक – 1

PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS IN ADHOC-CAMPA

Name of Proposal: जनपद पिथौरागढ में नाघर–कुमल्टा से ~~मंमोलीहाट~~ गंगा सेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 सविल एंव वन पंचायत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तो के अनुपालन हेतु ।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रं सं0 2878 / FP / UK/ROAD/8930/2014 दिनाक 10–04–2015 |

1	Name of Regional Office	Government of India Ministry of Environment, Forest & Climate Change Integrated Regional Office, Dehradun 25 Subhash Road, Dehradun-248001 Phone-0135-2650809
2	State/Dist./Forest Division to which the proposal relates	Uttarakhand/ Pithoragarh / प्रभागीय वनाधिकारी ,पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ
3	Name of the User Agency, nature of proposal	Provincial Division P.W.D Pithoragarh, Forest land Diversion for road Construction
4	Extent Forest area involved	0.819 Ha
5	Whether original, or extension	Original
6	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area, if so, specify.	NA
7	Date of 1ST stage clearance	15-04-2015
8	Extant of CAMPA charges, head wise viz.	
9	(a) Compensatory Afforestation	₹ 0.00
10	(b) Additional CA	-
11	(c) Road Side Gap plantation	₹ 8,00,000.00
12	(d) Panel CA	-
13	(e) Catchment Area Treatment	-
14	(f) Wild Life Management Plan	-
15	(g) Additional charges for Diversion of area falling under notified/ protected areas.	-
16	(h) Net present Value.	₹ 7,34,643.00
17	(i) Any other charges/Levies (pl Specify) Blank Spaces Plantation. (j) Road side Plantation	-
18	Total	₹ **15,34,643.00**

18/3/14
सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ
18/03/14

9	Detail of Bank (Bank, draft No., Date & Amount) Head wise against items indicated in 8 above.	-
10	Whether deposit by RTGS, if so, the particulars & date of remittance.	NPV Paid Through NEFT Fund Transfer on Date 27-05-2015 of Total Amount 7,46,28,097.00 Which is Inclusive of Above NPV Demand of Rs.734643.00 Vide UTR No SBIN 21514770 1748 date 27-05-2015 as attach document.
11	Bank (Corporation Bank, Lodhi complex/Union Bank of India, Sundar Nagar) in which deposited with date of deposition.	NEFT Fund Transfer in Name of COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (CAF) UTTARANCHAL A/C No.037100101025229 Corporation Bank, Lodhi complex New Delhi and Submitted to अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी , वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरस्ट कालोनी , उत्तराखण्ड देहरादून।
12	Any other Remarks	NIL

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
With you - all the way

PayOrder Details

e-PayOrder Number	CN36244196
Debit Status	Success
Scheduled Time	27-May-2015 |12:00 AM| IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight Thousand Ninety Seven only

7,46,28,097.00

00000010901749156

DEHRADUN

"CN36244196"

010208SFTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

010027051542796

Counterfoil Description	E01002127051542794
Transaction Type	NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No	Branch	Amount
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR No.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank.	SBIN215[illegible]

[illegible] मोटर मार्ग/सेतु के निर्माण हेतु [illegible] अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण [illegible]

अनु0सं0- 22, लेखाशीर्षक 5054-04-800-05-00-24 [illegible]

मार्ग/परियोजना का नाम	लम्बाई (कि0)	जनपद	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	3	4	5	6	7	8	9	10
(मर्सोली) मो0 मार्ग।	4.810	पिथौरागढ़	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]न्त कनालीछीना से ल्वांठी मो0 मार्ग।	1.620	पिथौरागढ़		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]ल-चौंपड़ा-मठ्गांव-बड़ई मो0 मार्ग का निर्माण।	3.227	रूद्रप्रयाग		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]न्दा नदी पर निरवाली-धारकोट में झूलापुल का निर्माण।	0.030	रूद्रप्रयाग		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible] बैण्ड से चौकी बर्सिल एवं खुर्जीर बैण्ड-चौकी बर्सिल से तमिलड [illegible]पाल मो0 मार्ग का विस्तार।	0.990	रूद्रप्रयाग		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]खगोड-बांसो-कोटली-पौड़िया-उखाड़ी-उन्वांसु-मल्यासू मो0 मार्ग [illegible]र्माण।	[illegible]	रूद्रप्रयाग		[illegible]				[illegible]
[illegible] रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत मक्कू सम्पर्क मो0 मार्ग।	0.074	रूद्रप्रयाग		625300	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible] गधेरा (सुवाकोट-पोखरी) में 11 मी0 लम्बाई में पैदल पुल का [illegible]।	0.800	नैनीताल		75120	0	245553	0	320673
[illegible]खोल के निकट सांवनी ने रूपिन नदी के ऊपर 80 मी0 लम्बी पुल का निर्माण।	0.211	उत्तरकाशी		138500	0	[illegible]	0	[illegible]
योग:- (क0सं0 1 से 26 तक)				45516177	13530206	15536879	44835	74628097

[illegible]0 25 बजट शीट-01 दि0 16.05.2015

अव आवंटित धनराशि: ₹ सात करोड़ छियालीस लाख अट्ठाईस हजार सतानब्बे मात्र।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

सड़क निर्माण के प्रकरण, [illegible] भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति [illegible]

द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण की धनराशि जमा की [illegible]

(धनराशि ₹ में)

अनु0सं0— 22, लेखाशीर्षक 5054-04-800-05-00-24 (आयोजनागत)

	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है0)	जनपद	अपर प्रमुख वन संरक्षक [illegible] जिसके द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि [illegible] हुए हैं।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	[illegible] की देय धनराशि	वृक्षारोपण की देय धनराशि	[illegible]	योग (6+7+8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	स–रुडीबहादेव–शैलापानी–मिकियासैण–मरचूला मो0 मार्ग।	13.842	अल्मोड़ा		[illegible]194	[illegible]812	0	0	3053006
	मोड़ा–देघाट–खल्डुवा मो0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण।	0.015	अल्मोड़ा		0		0	44835	44835
	त्यासैण–विनायक मो0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण।	0.080	अल्मोड़ा		525600	80000	11944	0	144584
	[illegible]–जेठाई मो0 मार्ग से गुरना बागेश्वर दफाट मो0 मार्ग।	1.820	बागेश्वर		1537900	[illegible]20520	800000	0	2858420
	[illegible]पुर ब्लाक के नालापानी मार्ग से कोटालगांव मो0 मार्ग।	0.9625	देहरादून		0	0	174890	0	174890
	[illegible]लीगड्ड से दुघई तक मो0 मार्ग।	2.8184	देहरादून		2646478	[illegible]2784	0	0	33792[illegible]
	[illegible]नपद देहरादून के अन्तर्गत सेलाकुई में केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण [illegible] एवं प्रशिक्षण संस्थान को लीज पर दी गई 136.08 है0 वन [illegible] में से हिमगिरि नव विश्वविद्यालय शीशमबाड़ा देहरादून के पहुंच [illegible] का निर्माण।	0.4320	देहरादून		[illegible]184	[illegible]0000	482000	0	[illegible]
	[illegible]डाक–मैड़ला–तड़ीगांव मो0 मार्ग।	1.935	पिथौरागढ़	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3102/1-41-4 देहरादून दि0 07.05.2015	1352565	553410	800000	0	2705975
	[illegible]घर–कुमल्टा से गंगोलीहाट मो0 मार्ग। (नाबार्ड [illegible])	0.819	पिथौरागढ़		734643	0	800000	0	1534643
	[illegible]टेगांव–साईखोला–सेरीकाण्डा मो0 मार्ग।	4.830	पिथौरागढ़		4332510	1381380	2000000	0	7713890
	[illegible]डकिनी–जलतुड़ी मो0 मार्ग।	0.982	पिथौरागढ़		880406	0	500000	0	1380406
	[illegible]ण्डारीगांव–रजवार–बोक्टा–धुराली मो0 मार्ग।	3.870	पिथौरागढ़		3471390	1106820	2000000	0	6578210
	[illegible]सलोनी–चिमताली–भैंसढूंगा–मझेड़ा–चौरा–जमतड़ी मो0 मार्ग।	2.610	पिथौरागढ़		2341170	746460	1200000	0	4287630
	[illegible]ण्डाक–बांस मो0 मार्ग (पोखरी) से रतवाड़ी ततरोड़ा मो0 मार्ग।	0.955	पिथौरागढ़		667545	0	1800000	0	2467545
	[illegible]रोडीपाली–रसियापाटा मो0 मार्ग।	2.295	पिथौरागढ़		2058615	[illegible]6370	1000000	0	37149[illegible]5
	आपदाग्रस्त एचोली–जाख–पुरान मो0 मार्ग।	2.970	पिथौरागढ़		2076030	849420	820000	0	3745450
	आपदाग्रस्त दवाले–उण्डणा–फूसरखाली–गोधागैर–खर्कगैर मो0 मार्ग।	0.270	पिथौरागढ़		242190	0	400000	0	642190

16.5.2015

संलग्नक – 2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः 681 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18 अगस्त, 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ नाघर से कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/8930/2014**)।

संदर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 **5-3/2011-FC** दिनांक 06.01.2022 व भारत सरकार का पत्र दिनांक 19.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्रों के कम में ऐसे प्रकरण जो कि दिनांक 06.01.2022 के बाद स्वीकृत हैं, अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के बाद 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो, में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त के कम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	मद	इकाई	दर	कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि (रु0)
1	एन0पी0वी0	0.819 हे0	1372410 / – (ईको क्लास–VI) घनत्व 0.4	1124003.79 / –	734643 / –	389360.79 / – या 389361.00 / –

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट के सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– 681 / 12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

3/20/24, 5:46 PM

NE

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6189300313
MoEF/SG File No.	1(74)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	389361/-

Amount in Words :Three Lakh Eighty-Nine Thousand Three Hundred and Sixty-One Rupees Only

000 1225705299

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA,
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896189300313 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through chall... even after 7 working days, then kindly mail a copy of y... id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@u... ubin0903710@unionbankofindia.bank

Dated:- 20/3/2024

UTR:- UBINJ240 90485540

चैक नं० 953721 Dt 16/2/24

Executive Engineer
Provincial Divn. P.W.D.
Pithoragarh

प्रपत्र

क्र0	मार्ग का नाम	फारेस्ट प्रपोजन स0	क्षेत्रफल	जनपद	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देय धनराशि	वृक्षारोपण की देय धनराशि	मलवा निस्तारण	योग (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संलग्न सीट के कमाक स 1 से 7 तक	-		अल्मोडा / बागेश्वर / देहरादून।	13714316.00	5762116.00	1468834.00	44835.00	20990101.00
2	संलग्न सीट के कमाक स 20 से 26 तक	-		रूद्रप्रयाग / नैनीताल / उत्तरकाशी	11465087.00	2010910.00	1748045.00	-	15224042.00
3	कमाक 8 चन्डाक मैइला तडीगॉव मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 10700/ 2015	1.935 हे0	पिथौरागढ़	1352565.00	553410.00	800000.00		2705975.00
4	कमाक 9 नायर कुमलता गगासेरी मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 8930 / 2014	0.819 हे0	पिथौरागढ़	734643.00	-	800000.00		1534643.00
5	कमाक 10 कोटेगॉव साईखोला सेरीकाण्डा मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 9544 / 2014	4.830 हे0	पिथौरागढ़	4332510.00	1381380.00	2000000.00		7713890.00
6	कमाक 11 अडकिनी जलतुडी मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 6639 / 2014	0.982 हे0	पिथौरागढ़	880406.00	-	500000.00	-	1380406.00
7	कमाक 12 भण्डारीगॉव रजवार बोक्टा . बुरोली मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 8887 / 2014	3.870हे0	पिथौरागढ़	3471390.00	1106820.00	2000000.00		6578210.00
8	कमाक 13 सिलोनी– चिमतोली भैसडुगा– मलेटा –चौरा–जमतडी मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 9064 / 2015	2.610 हे0	पिथौरागढ़	2341170.00	746460.00	1200000.00		4287630.00
9	कमाक 14 चन्डाक बॉस मोटर मार्ग पोखरी से रसधली ततगॉव मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 10696 / 2015	0.955 हे0	पिथौरागढ़	667545.00	-	1800000.00		2467545.00
10	कमाक 15 सेडी पाली –रसियापाटा मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 8923 / 2014	2.295 हे0	पिथौरागढ़	2058615.00	656370.00	1000000.00		3714985.00
11	कमाक 16 आपदाग्रस्त ऐचाली –जॉख पुरान मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 9551 / 2015	2.970 हे0	पिथौरागढ़	2076030.00	849420.00	820000.00		3745450.00
12	कमाक 17 आपदाग्रस्त बडावे– उण्डाडा– कुजरखाली –गोथागैर –खर्कगैर मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 8915 / 2014	0.270 हे0	पिथौरागढ़	242190.00		400000.00		642190.00
13	कमाक 18 माड (मर्सोली) मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 8927 / 2014	0.810हे0	पिथौरागढ़	726570.00		400000.00		1126570.00
14	कमाक 18आपदा ग्रस्त कनालीछीना से ल्याटी मोटर मार्ग	FP/ UK / ROAD/ 8912 / 2014	1.620 हे0	पिथौरागढ़	1453140.00	463320.00	600000.00		2516460.00
	योग				45516177.000	13530206.00	15535879.00	44835.00	74628097.00

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

PayOrder Details

e-PayOrder Number	CN36244196
Debit Status	Success
Scheduled Time	27-May-2015 [12:00 AM] IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight Thousand Ninety Seven only 7,46,28,097.00

00000010901749156

4162085FTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

DEHRADUN

"CN36244196"

010027051542796

Counterfoil Description	E01002127051542794
Transaction Type	NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No	Branch	Amount
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSCCode	Amount	Credit Status	UTR No.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank.	SBIN215 [illegible]

संलग्नक -3

2·37

प्रारुप–51

परियोजना का नाम:– नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

संलग्नक-4

231

प्रारुप–34

परियोजना का नामः– नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

<u>भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता
[redacted] खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
पिथौरागढ

2.29

प्रारुप–35

परियोजना का नाम:– नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

संलग्नक - 5

1.6 (A)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.819** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Douli, Virkitiya, Gangaseri, Bhatar** village (s) in **Munakot (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.819** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी पिथौरागढ़

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र- 2/21/... तहसील - पिथौरागढ़ जिला-पिथौरागढ़

तहसीलदार पिथौरागढ़

1.6 (B)

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT --PITHORAGARH (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Prasant..Arya P.C.S deputy commissioner,. Pithoragarh. on dated 15/12/14. at time .11:00.am.at N.I.C. Pth in which application claiming rights in Gangolihat.. area measuring ..0.319... hect for the construction of ..Road...km..... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of P.D.P.W.D sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh

Dated:...15/.12/14

Deputy Commissioner-Cum-Chairman

District Level Committe

पिथौरागढ़

1.6(c)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पिथौरागढ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।** (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.729** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.090** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.819** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 10.12.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [handwritten] उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ ——अध्यक्ष
2– श्री अनिल कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट ——सदस्य
3– श्री दीपक आर्या सहायक समाज कल्याण अधिकारी मूनाकोट सदस्य/सचिव
4– श्री पुष्पा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र मूनाकोट ——सदस्य

सा०क्षे०स०– पुष्पा देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पिथौरागढ में सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के रामकोट से पत्थरकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।** परियोजना हेतु **0.819** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु ंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नाघर कुमलता गंगासेरी मो० मा० परियोजना के निर्माण हेतु 0.819 हे0 वन भूमि प्रा० खं० लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– **नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ———— गंगासेरी
तहसील पिथौरागढ़ जिला– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागड के अन्तर्गत **नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.729** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.090** हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.819** .हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत **गंगासेरी** द्वारा दिनांक 30/11/24 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गंगासेरी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि.ख.–मूनाकोट, पिथौरागढ़

सरपंच
वन पंचायत गंगासेरी
विकास खंड–मूनाकोट
पिथौरागढ़

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

CHAMPA
प्रधान
ग्राम पंचायत–गंगासेरी
वि.खं. मूनाकोट, पिथौरागढ़

प्रारुप—30.4

दिनांक 30/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गंगासेरी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	केशवदत्त कापड़ी	केशवदत्त
2	कामकिशन कापड़ी	[illegible]
3-	धर्मानन्द कापड़ी	धर्मानन्द
4-	नारायणदत्त	नारायण दत्त
5-	लक्ष्मणराम	लक्षमण राम
6-	नवीनचन्द्र	नवीन
7-	श्रीमती लीलादेवी	लीला देवी
8-	" गोदावरीदेवी	गोदावरी देवी
9-	" कौशल्या देवी	कौशल्या देवी
10-	" देवकी देवी	देवकी
11	श्री रमेश पाण्डे	[illegible]
12	" रेवाधर कापड़ी	रेवाधर
13	" रिवआनन्द पाण्डे	रिवआनन्द
14	" जोगाराम	जोगाराम
15	" हरीदत्त	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गंगासेरी
न्याय पंचायत कनालीछीना
वि.ख.-मूनाकोट, पिथौरागढ़

CHAMPA
प्रधान
ग्राम पंचायत—गंगासेरी
वि.खं. मूनाकोट, पिथौरागढ़